कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 559 /कानपुर/34211/2018, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 11, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषय : कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0-86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 ब्रिकगार्ड पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक-782/14-1, दिनांक 06.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया या है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि क्षतिपूरक वनीकरण की Kml file में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 28.770 के स्थान पर 43.5 हे0 प्रदर्शित हो रहा है। उक्त स्थल पर प्रदर्शित वानस्पतिक घनत्व के अनुसार उक्त स्थल क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त नहीं प्रतीत हो रहा है।

अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अन्य उपयुक्त स्थल पर प्रभवित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि का चयन कर उक्त स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, उक्त स्थल को सर्वे आफ इंडिया की मूल टोपोशीट में चिन्हित कर, उक्त स्थल का डिजिटल मानचित्र एवं Kml file ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें। यदि पूर्व प्रस्तुत क्षेत्र आपके निरीक्षण में उपयुक्त है, तो उक्त स्थल का फोटोग्राफ मय हस्ताक्षर के उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही स्पष्ट संस्तुति/सहमति भी देने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 559 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक(निर्माण इकाई), उ0प्र0 जल निगम, घाटमपुर, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।